"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 (पौष 2, 1927)

क्रमांक- 14543/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005), जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 29 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005" है.

धारा 7-ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7-ख की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(2-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि निर्देश याचिका उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती है जिसको संकर्म संविदा पर्यवसित हो जाती है, पुरोबंधित हो जाती है, परित्यक्त कर दी जाती है या किसी अन्य रीति से समाप्त हो जाती है या जब संकर्म संविदा के लंबित रहने के दौरान कोई विवाद उद्भूत हो जाता है :

परंतु यदि निर्देश याचिका राज्य सरकार द्वारा फाइल की जाती है तो ऐसा काल तीस वर्ष होगी."

धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय या अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण के लिए उसे किये गए आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय किया गया है, अधिकरण को अध्यपेक्षा जारी करके अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवायेगा :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तीन मास के विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक, उच्च न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे कालावधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.

स्पष्टीकरण :- यह तथ्य, कि आवेदक विहिन कालावधि का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस उपधारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 7-ख की उपधारा (1) में, माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका फाइल करने की परिसीमा अंतिम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की संसूचना की तिथि से एक वर्ष है. यह परिसीमा सामान्यत: संविदाकारों के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी लागू है, परंतु यह परिसीमा समस्त पहलू को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा राज्य सरकार के लिए भी अहितकर है जिसके कारण कुछ मामलों में संकर्म संविदा निष्पादित होने के पश्चात् विशिष्ट मामलों के तथ्य पश्चात् व प्रक्रम में राज्य सरकार की जानकारी में आते हैं. अतएव राज्य सरकार के लिए परिसीमा का कालावधि तीस वर्ष किया जाना प्रस्तावित है जो कि परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का संख्या 36) की अनुसूची के अनुच्छेद 112 के अनुरूप है.

2. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, माध्यस्थम अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल करने के लिए तीन मास की परिसीमा उपबंधित है, किन्तु ऐसे कालावधि के भीतर पुनरीक्षण न किये जाने के लिए पर्याप्त हेतुक होते हुए भी, तीन मास के विहित कालावधि के पश्चात् पुनरीक्षण फाइल किये जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है. अतएव इस प्रभाव का एक उपबंध और स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अनुरूप है.

3. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

बृजमोहन अग्रवाल
विधि एवं विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर

तारीख 19-12-2005

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 7 ख (1) एवं धारा 19 (1) के सुसंगत उद्धरण-

* *

7-ख (2) उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किन्तु मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रारम्भ ही नहीं की गई है, वहां निर्देश याचिका मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस तथ्य के होते हुए भी ग्रहण की जाएगी कि करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय किया गया है या नहीं.

* *

उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति.

19 (1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या अधिनिर्णय के तीन मास के भीतर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किये गये आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय किया गया है. अभिलेख अधिकरण को अध्यपेक्षा जारी करके मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवायेगा.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.